प्रेषक

महानिदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा,
पंचकूला।

सेवा में

हरियाणा राज्य के समस्त
जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी

यादी क्रमांक 1/22–2012 एम0डी0एम0(1)
दिनांक ,पंचकुला 27.9.2013

विषयः **मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत सभी प्राइमरी/अपर–प्राइमरी विद्यालयो के छात्रो के हाथ धोने के लिए साबुन उपलब्ध करवाने बारे।**

उपरोक्त विषय के संदर्भ

आपको मिड डे मील स्कीम के अर्न्तगत छात्रो के हाथ धोने के लिए साबुन खरीदने हेतु राशि जारी की गई है। यह राशि स्कूलो मे साबुन खरीदने हेतू खर्च करने की स्वीकृति निम्नलिखित नियमों व शर्तो के तहत दी जाती हैः–

1. साबुन खरीदने हेतु राशि निदेशालय से स्कूलवाईज गणना के अनुसार जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी को जारी की जाएगी तथा जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी राशि को ब्लॉक तथा विद्यालय स्तर पर जारी करेगे।
2. साबुन विद्यालय स्तर पर विद्यालय प्रभारी/मुख्य अध्यापक/प्रधानाध्यापक द्वारा विद्यालय स्तर पर प्रति मास ही खरीदे जाएगे। इससे अधिक स्टाक विद्यालय स्तर पर नही रखा जाएगा।
3. साबुन प्रतिमास छात्र संख्या के आधार निम्नानुसार की जाएगीः–

छात्रसंख्या	साबुन की संख्या
1–20	1
21–40	2
41–60	3

प्रत्येक 20 छात्रो पर 1 अतिरिक्त साबुन खरीदा जाएगां।

4. खर्चा सरकार की हिदायतों/ मापदण्ड अनुसार ही किया जाना है।
5. खर्चा 31.3.2014 तक अवश्य कर लिया जाए।
6. खरीद किए गए साबुन की प्रविष्टि विद्यालय के स्टाक रजिस्टर में अवश्य की जावे।
7. विद्यालय के मुखिया/मुख्याध्यापक/प्रभारी खरीद से संबंधित दस्तावेजों को अच्छी तरह रखेंगे जिससे भविष्य में किसी भी जांच के दौरान तथ्यों को सत्यापित किया जा सके।
8. विद्यालय मे साबुन के रखरखाव तथा खाना खाने से पहले छात्रो के हाथ धुलवाने की जिम्मेदारी मिड डे मील इन्चार्ज की होगी।

Kishan Kumar

प्रबन्धक मध्याह्न भोजन योजना,
कृतेःनिदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा।
पंचकूला।